न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 08/2018

दायर दिनांक: 15.05.2018

निर्णय दिनांक 14.11.2019

—:अनवान:—

रामलाल पिता चेना जी जाति बलाई निवासी गाडरियावास गुड़ला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

———अपीलांट

—:बनाम:—

1 गेहरीलाल पिता नानालाल बलाई, निवासी आत्मा, तहसील व जिला राजसमन्द

2 श्रीमती चुन्नीबाई पत्नी परथा बलाई, निवासी गुगलेटा, तहसील व जिला राजसमन्द

3 श्रीमान तहसीलदार राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण संख्या 10/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017 से व्यथित होकर

उपस्थित वक्त बहस:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री भरत पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1

3— रेस्पोडेन्ट सं0 2 अनुपस्थित

4— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। कि राजस्व ग्राम आरना, पटवार क्षैत्र पीललांत्री कला तहसील व जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 167/91 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा स्थित है एवं आराजी नम्बर 355 रकबा 17 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके संबंध में स्वीकृत नामान्तराण संख्या 492 दिनांक 25.05.1992 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी माता की भूमि होने बाबत परथा के नाम पर स्वीकृत नामान्तरण को जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां पर नामन्तरण अपील संख्या 21/2012 बीस साल बाद चुनौती दी गई, जिस अपील को जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा चुन्नीबाई के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार राजसमन्द को रिमाण्ड की गई तथा यह निर्देशित किया गया है कि मामले में पुनः जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर प्रकरण को नियमानुसार निस्तारित करें, जिस पर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा उक्त प्रकरण में संबंधित पक्षकार को सुने बगैर ही प्रकरण सं0 10/2017 गहेरीलाल बनाम चुन्नीबाई में दिनांक 15.12.2017 को आलोच्य आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों व विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत पालीवाल, रेस्पोडेन्ट सं0 2 अनुपस्थित, रेस्पोडेण्ट सं0 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थिति।

अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व राजकीय अधिवक्ता बहस सूनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में लिये गये आधारों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संबधित पक्षकार को सूने बगेर ही मनमकसूद तरीके से यह आदेश पारित किया है जो न केवल विधि

के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पारित आदेश एवं जारी किये गये दिशा–निर्देश की पालना उक्त प्रकरण में नहीं की है। प्रकरण में किसी प्रकार की काई जांच ही नहीं करवायी गयी बल्कि सारी कार्यवाही रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के अनुसार ही सम्पादित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जांच करवायी लेकिन वह जांच अपूर्ण व अधूरी है। पटवारी हल्का से दल्ला पिता नंदा बलाई के वारिसान की जांच करना बताते हुए उसके वारिसान गांव आत्मा में होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर पटवारी हल्का आत्मा से जांच रिपार्ट मंगवा दी गयी जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेकर्ड की जो जांच पेश करनी थी, वह पटवारी हल्का पीपलांत्री द्वारा पेश ही नहीं की गयी। यदि मौके व रेकर्ड की जांच पटवारी हल्का पीपलांत्री द्वारा पेश की जाती तो तहसीलदार द्वारा अलोच्य आदेश ही अपीलार्थी को सुने बिना पेश नहीं किया जाता क्योंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह प्रमाणित हो जाता कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम पर थी तथा मौके पर अपीलार्थी ही काबिज है और मौके पर उक्त भूमि पर काश्त भी नहीं हो रही है बल्कि भूमि खनन क्षैत्र में गिरती हैं इससे सारी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट हो जाती लेकिन पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मौके एवं रेकर्ड की स्थिति बाबत नहीं आने से आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विपरीत है। अपीलार्थी उक्त भूमि का खातेदार कृषक है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 चुन्नीबाई के नाम पर दर्ज होने से ही उक्त भूमि को क्रय किया था। वैसे भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में यदि मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति की रिपोर्ट तलब होने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी यह स्थिति स्पष्ट हो जाती। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार होते हुए भी अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया और सारी कार्यवाही अपने मनमकसूद तरीके से सम्पादित कर दी जो न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत हैं। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया न ही मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति तलब करायी गयी, न ही न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पारित करने के आदेश की पालना की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में भंवरी द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पिता की सम्पत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है, न ही उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर वाद पेश किया है, न ही कोई कार्यवाही करवायी गयी हैं। सारी कार्यवाही विधि के विपरीत है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही थी। प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.04.2018 को हुई जब उक्त भूमि की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि अपीलार्थी की उक्त भूमि में इसका नाम ही इसी आदेश से हटा दिया गया है। जिसकी जानकारी होते ही नकलें प्राप्त की गयी जो जानकारी से अन्दर मियाद है फिर भी अपीलार्थी का मामला गुणावगुण पर अच्छा है और राजस्व अधिकारियों की गलती से जॉच किये बगैर अपीलांट के वैध हक, अधिकार अवैध रूप से समाप्त किये गये हैं। ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अपीलांट को उक्त मामले कभी सुना ही नही गया हैं। बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित आदेश किया गया हैं। जिसकी जानकारी नकल प्राप्त करने पर होते ही शीघ्र यह अपील पेश की जा रही है। मामला गुणावगुण पर अच्छा है। यदि उक्त मामले को तकनिकी आधार पर अस्वीकृत किया जाता है तो अपीलान्ट के विधिक हक अधिकार काफी प्रभावित होंगे और न्याय से वंचित होंगे। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मयाद में मानते हुए निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने बहस कथन में यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 15.12.2017 को तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावें तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रकरण पुनः तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति प्रदान की गई। तथा तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जावें कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावें।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त प्रकरण की अपील स्वीकार करते हुए रिमाण्ड करने में अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत की हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिसमें तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 26.05.1992 को पीपलांत्री कला में दल्ला पिता नन्दा बलाई की खातेदारी भूमि का दल्ला जी की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरण सं0 492 श्री परथा के नाम पर खोला गया। परथा जी की मृत्यु के पश्चात विरासत से उसकी पत्नी चुन्नीबाई के नाम नामान्तरण सं0 178 दिनांक 05.07.2011 को खोला गया। चुन्नीबाई द्वारा दिनांक 10.12.2012 को उक्त आराजी भूमि का बेचान रामलाल पिता चेना जी बलाई को कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 37 दिनांक 30.01.2013 को खोला गया। साथ ही दल्ला की पुत्री द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पिता की उक्त आराजी वाली सम्पत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई हैं। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा इस न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 की अनुपालना में संबंधित पक्षकार को सुनवाई के अवसर दिये बगैर ही आलौच्य आदेश पारित किया हैं। तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अपने लिखित जवाब में अपील स्वीकार करने की सहमती प्रदान की हैं। ऐसी स्थिति में हम उक्त अपील को स्वीकार करना न्यायोचित समझते है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के प्रकरण सं0 10/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, राजसमन्द को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मामले मे पुनः जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)